

उत्तर प्रदेश सरकार का त्वरति न्याय की दशा में प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पछिले वर्षों में हुई कार्रवाई को आधार बनाते हुए प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना तैयार की है।

प्रमुख बढि

- छह माह की इस कार्ययोजना में मृत्युदंड की सज़ा वाले अपराधों में अभयुक्तों और उमरकैद की सज़ा वाले 300 अभयुक्तों को जेल भजिवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के तहत तेज़ी से पैरवी कर 10 प्रकरणों में आरोपति को 1 माह के भीतर सज़ा दलाई जाएगी।
- इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा एक-दो वर्षीय कार्ययोजना का भी निर्माण कथिा गया है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का 2019 में महिलाओं के प्रत अपराधों में सज़ा दलाने का प्रतशित 55.2 था, जो 2020 में बढकर 61 हो गया।
- महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ही प्रदेश में मशिन शकत की शुरुआत की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश डजिटल इंडिया मशिन के तहत ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज कराने के मामले में भी सबसे आगे है।